<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली जिला उदयपुर</u>

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, RAS.

पत्रावली संख्या : 90/25 (विविध प्रार्थना पत्र)

जीसीएमएस नम्बर : 2025/309

1. कमला कुंवर पत्नी स्व० गणपतसिंह जी राठौड़ जाति राजपूत, उम्र 50 वर्ष, निवासी राणावतो का बंगला, तह० भूपालसागर, जिला चित्तौडगढ़ (राज०)

.................प्रार्थी

बनाम

1. रुकमण कुंवर पत्नी दलपतसिंह राठौड़ जाति राजपूत, उम्र 50 वर्ष, निवासी राणावतो का बंगला, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौडगढ़ (राज०)
2. विद्या पत्नी गंगाचरण जी शर्मा, उम्र 70 वर्ष निवासी द्वारकाधीश मन्दिर के पास, फतहनगर, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. निर्भयसिंह पुत्र भंवरसिंह जी राठोड जाति राजपूत, उम्र 45 वर्ष, निवासी राणावतो का बंगला, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौडगढ़ (राज०)
4. कृष्णाकुंवर पुत्री शिवसिंह जी राठौड़ जाति राजपूत, उम्र 25 वर्ष, निवासी राणावतो का बंगला, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौडगढ़ (राज०)
5. दलपतसिंह पुत्र शिवसिंह जी राठौड़ जाति राजपूत, उम्र 53 वर्ष, निवासी राणावतो का बंगला, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौडगढ़ (राज०)
6. दशरथकुंवर पुत्री शिवसिंह जी राठौड़ जाति राजपूत, उम्र 35 वर्ष, निवासी राणावतो का बंगला, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौडगढ़ (राज०)
7. मंजुकुंवर पुत्री शिवसिंह जी राठौड़ जाति राजपूत, उम्र 40 वर्ष, निवासी राणावतो का बंगला, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौडगढ़ (राज०)
8. सुगन कुंवर पत्नी स्व० शिवसिंह जी राठौड़ जाति राजपूत, उम्र 70 वर्ष, निवासी राणावतो का बंगला, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौडगढ़ (राज०)
9. ईश्वरसिंह पुत्र गणपतसिंह जी राठौड़ जाति राजपूत, उम्र 35 वर्ष, निवासी राणावतो का बंगला, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौडगढ़ (राज०).
10. कालीकुंवर पुत्री गणपतसिंह जी राठौड़ जाति राजपूत, उम्र 28 वर्ष, निवासी राणावतो का बंगला, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौडगढ़ (राज०)
11. छोटूसिंह पुत्र गणपतसिंह जी राठौड़ जाति राजपूत, उम्र 25 वर्ष, निवासी राणावतो का बंगला, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौडगढ़ (राज०)
12. पिंकीकुंवर पुत्री गणपतसिंह जी राठौड जाति राजपूत, उम्र 37 वर्ष, निवासी राणावतो का बंगला, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौडगढ़ (राज०)
13. मीठुकुंवर पत्नी भंवरसिंह जी राठौड़ जाति राजपूत, उम्र 70 वर्ष, निवासी राणावतो का बंगला, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौडगढ़ (राज०)
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज०)

................विपक्षीगण

उपस्थित :— 1. श्री दिलीप वैष्णव, अधिवक्ता प्रार्थी।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम</u>

<u>निर्णय</u>

<u>दिनांक : 14.10.2025</u>

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा [illegible] पटवार हल्का [illegible]वाड़, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) के आराजी नम्बर 5346 [illegible] 128 हैक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में मुझ प्रार्थीयां के नाम पर [illegible] से खातेदारी हक से अंकित हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:57:07 IST
Reason: SelfAttested

विपक्षीगण पड़ौसी खातेदार है। उक्त भूमि मुझ प्रार्थीया की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की होकर मैं प्रार्थीया परिवारजनों सहित काबिज होकर उपयोग उपभोग करती आ रही हूँ किन्तु विपक्षी संख्या 1 से 13 मुझ प्रार्थीयां की कृषि भूमि के पड़ौसी है जिस वजह से विपक्षी संख्या 1 से 3 हर समय हमारी कृषि भूमि की सीमा को लेकर लड़ाई झगड़ा करते है और मुझ प्रार्थीयां को मेरी खातेदारी की कृषि भूमि के उपयोग उपभोग में दखलन्दाजी करते हैं तथा सीमा के स्थाई निशान नही होने से विपक्षी संख्या 1 से 3 व इनके परिवार के लोग प्रतिवर्ष किसी न किसी बहाने मेरी जमीन की तरफ बढ़ जाते है और सीमा बाबत् विवाद करते है तथा मेरी कृषि भूमि की सीमा पर जबरन कार तामीर करने की धमकीयां देते हैं और मुझे व मेरे परिवारजन को मेरी उक्त वर्णित कृषि भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग नही करने देते है और मेरे कब्जे काश्त में दखलन्दाजी कर व्यवधान पैदा करते है तथा मेरी बाड़ व बाड़ में खडे वृक्षों को भी नुकसान पहुँचाते हैं। जबकि विपक्षी संख्या 1 से 3 या अन्य किसी भी व्यक्ति को ऐसा करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है।

2. यह कि मैं प्रार्थीयां एवं मेरे परिवार के सदस्य मेरी खातेदारी की उक्त कृषि भूमि पर काबिज है और परिवारजन सहित शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग कर रहे है लेकिन विपक्षी संख्या 1 से 3 जो मेरी जमीन के पडौसी होने की वजह से हर समय मेरी कृषि भूमि की सीमा को लेकर विवाद करते है एवं लडाई झगडा कर मेरी कृषि भूमि पर कब्जा करने पर आमादा रहते हैं तथा वर्तमान में भी विपक्षी संख्या 1 से 3 मुझ प्रार्थीयां को डरा धमका कर मेरी जमीन को नाजायज तरीके से हड़पने पर आमादा हो रहे है। जबकि इनको ऐसा करने का कोई अधिकार नही है। इसलिये मुझ प्रार्थीयां को मेरी उक्त कृषि भूमि की पूर्वी, पश्चिम एवं दक्षिणी दिशा की सीमा की पत्थरगढ़ी कराना जरूरी हो गया है।

3. यह कि मुझ प्रार्थीयां को विपक्षीगण के विरूद्ध अंतिम बार प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 03–06–2025 को उत्पन्न हुआ जब मुझ प्रार्थीयां ने पड़ौसी खातेदारों विपक्षीगण को मेरी कृषि भूमि की पूर्वी, पश्चिमी व दक्षिणी दिशा की सीमाओं की पत्थरगढ़ी कराने में सहयोग प्रदान करने के लिये कहा तो विपक्षी संख्या 1 से 3 इसके लिये तैयार नही हुए, तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।

4. अंत में निवेदन किया की मुझ प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर इस आशय का आदेश फरमाया जावें कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित मुझ प्रार्थीयां की खातेदारी कृषि भूमि की पूर्वी. पश्चिमी एवं दक्षिणी दिशाओ की सीमा की पत्थरगढ़ी कराई जाकर स्थायी सीमाकंन [illegible] जावें तथा मेरी खातेदारी की कृषि भूमि पर विपक्षी संख्या 1 से 13 अथवा अन्य [illegible] का अवैध कब्जा एवं अवैध निर्माण पाया जावें तो मेरी कृषि भूमि से उनके [illegible] से उनके अवैध कब्जे एवं अवैध निर्माण को

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadiya
Date: 2025.10.24 16:57:07 IST
Reason: SelfAttested

हटवाया जाकर मेरी कृषि भूमि का कब्जा मुझ प्रार्थीयां को सुपुर्द किये जाने हेतु आदेशित किया जावें।

5. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 2, 3, 5, 11 द्वारा उपस्थित होकर पत्थरगड़ी किए जाने में कोई आपत्ति नही होना जाहीर किया गया। विपक्षी संख्या 1, 4, 6 से 10, 12, 13 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किए गए। प्रतिवादी संख्या 14 आवश्यक औपचारिक पक्षकार होने से जवाब पेश नही करना चाहा। अधिवक्ता प्रार्थीया की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया की एकपक्षीय बहस को समायत किया तथा दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के तथ्यों पर मनन् किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचें है कि मौजा सनवाड पटवार हल्का सनवाड तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077—80 के खाता संख्या 143 पर दर्ज आराजी नम्बर 5346 किता 1 कुल रकबा 0.2428 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीया के नाम तन्हा खातेदारी अधिकार से दर्ज है। प्रार्थीया अपनी भूमि की खातेदार काश्तकार है। इस प्रकार प्रार्थीया की भूमि में विपक्षीगण का कोई हक हिस्सा निहित नही है। प्रार्थीया की भूमि का सीमाकंन कर पत्थरगड़ी कर दी जाती है तो प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य सीमा संबंधी विवाद नही रहेगा। प्रार्थीया को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगड़ी करवाने का पूर्ण अधिकार है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है ।

7. अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर पत्थरगड़ी कराने बाबत 1000/—रूपये शुल्क पर तहसीलदार मावली को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा सनवाड पटवार हल्का सनवाड तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077—80 के खाता संख्या 143 पर दर्ज आराजी नम्बर 5346 किता 1 कुल रकबा 0.2428 हैक्टेयर भूमि के चारो दिशाओ का पुख्ता सीमांकन किया जाकर पत्थरगड़ी की जावे। पत्थरगड़ी करने से पूर्व प्रार्थीया एवं विपक्षीगण/पड़ौसी खातेदारो को सूचना पत्र जारी किये जावे। पत्थरगड़ी प्रार्थीया एवं विपक्षीगण/पड़ौसी खातेदारो की उपस्थिति में की जावे। फीस कमिश्नर प्रार्थीया मौके पर अदा करें।

8. तहसीलदार मावली को लिखा जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

9. निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया ।

(रमेश सीरवी पुनाडिया) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी मावली
जिला उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:57:07 IST
Reason: SelfAttested